बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

9/45

गोपनीय

मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन हेतु संलेख

विषयः– सुशासन के कार्यक्रम (2015–2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए संकल्पित सात निश्चय के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21) में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए वर्षवार प्रस्तावित राशि कुल रू॰ 3015.96 करोड़ (तीन हजार पन्द्रह करोड़ छियानवे लाख रूपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

सुशासन के कार्यक्रम (2015–2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए राज्य के युवा पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा के सुलभ अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित किया जाना है।

2. राज्य के सात (7) जिलों यथा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, दरभंगा, गया, छपरा एवं नालन्दा में अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित एवं संचालित हैं तथा शेष 31 जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण/संचालन किया जाना है।

3. राज्य के छः (6) जिलों यथा पटना, रोहतास, बेगुसराय, सीतामढ़ी, मधेपुरा एवं कटिहार में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिसमें से पांच (5) संस्थानों के निर्माण कार्यों के लिए रू॰ 556.58 करोड़ (पांच सौ छप्पन करोड़ अंठावन लाख रूपये) मात्र की राशि स्वीकृत है। उक्त संस्थानों का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जायेगा तथा भवनों के निर्माण हाने तक उक्त संस्थानों में वर्ष 2016–17 से अस्थायी परिसर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰) की स्वीकृति के उपरांत सत्रारंभ प्रस्तावित है।

4. भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–153, दिनांक 18.02.2016 **(अनुलग्नक–1)** के द्वारा उपलब्ध तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर पटना जिला में स्वीकृत संस्थान सहित राज्य के शेष 25 जिलों में प्रस्तावित अभियंत्रण महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए प्रति संस्थान रू॰ 73.13 करोड़ मात्र की दर से आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21) में कुल रू॰ 1901.38 करोड़ (एक हजार नौ सौ एक करोड़ अड़तीस लाख रूपये) मात्र का व्यय अनुमानित है। उक्त संस्थानों की स्थापना एवं निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जायेगा तथा प्रारंभ होने के आगामी क्रमिक तीन वर्षों में निर्माण पर व्यय, लागत के 30%, 50% एवं 20% के आधार पर निम्नवत किया जायेगा तथा वर्ष 2020–21 तक लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी–

वर्ष	निर्माण प्रारंभ होने वाले संस्थानों की संख्या	निर्माण पूर्ण होने वाले संस्थानों की संख्या
2016–17	6	0
2017–18	8	0
2018–19	7	6
2019–20	5	8
2020–21	0	12
कुल	**26**	**26**

5. इस प्रकार आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21) में 5 जिलों में निर्माणाधीन एवं 26 जिलों प्रस्तावित अभियंत्रण महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों पर में रू॰ 2457.96 करोड़ मात्र तथा उक्त संस्थानों के संचालन के लिए स्थापना व्यय पर प्रति संस्थान प्रतिवर्ष रू॰ 6.00 करोड़ मात्र की दर से रू॰ 558.00 करोड़ मात्र अर्थात कुल रू॰ 3015.96 करोड़ (तीन हजार पन्द्रह करोड़ छियानवे लाख रूपये) मात्र का वर्षवार राशि निम्नवत प्रस्तावित है **(अनुलग्नक–2)**–

वर्ष 2016–17 – रू॰ 33460.80 लाख
वर्ष 2017–18 – रू॰ 73919.20 लाख
वर्ष 2018–19 – रू॰ 75916.50 लाख
वर्ष 2019–20 – रू॰ 63865.80 लाख
वर्ष 2020–21 – रू॰ 54433.70 लाख
कुल – रू॰ 301596.00 लाख

6. उक्त योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21) में योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए वर्षवार प्रस्तावित राशि कुल रू॰ 3015.96 करोड़ (तीन हजार पन्द्रह करोड़ छियानवे लाख रूपये) मात्र के व्यय पर योजना प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त है **(अनुलग्नक–3)**।

7. उक्त योजनान्तर्गत वर्षवार प्रस्तावित राशि का वहन निम्नांकित बजटशीर्षों से किया जायेगा –
मुख्यशीर्ष – 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष– 105– इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय, मांग संख्या–3, उपशीर्ष– 0105–अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) तथा मुख्यशीर्ष – 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105– इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय, मांग संख्या– 43, उपशीर्ष– 0106–अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)

8. **प्रस्तावः–** अतः प्रस्तावित है कि योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति के आलोक में सुशासन के कार्यक्रम (2015–2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए संकल्पित सात निश्चय के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21) में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए वर्षवार प्रस्तावित राशि कुल रू॰ 3015.96 करोड़ (तीन हजार पन्द्रह करोड़ छियानवे लाख रूपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

9. प्रस्ताव में दिनांक 17.02.2016 को सम्पन्न योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।

10. प्रस्ताव तथा संलेख में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

11. उपर्युक्त कंडिका– 8 में अंकित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रार्थित है।

(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– वि॰ प्रा॰ (III) यो॰ – 16/2016– 545 /पटना, दिनांक 18.02.2016

प्रतिलिपि– संलेख की 45 (पैंतालीस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ उपस्थापित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

प्रधान सचिव